# छत्तीसगढ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

पता–सेक्टर 24 आफिस काम्प्लेक्स ब्लाक ए प्रथम तल अटल नगर, नवा रायपुर
ई–मेल–Secretaryboc@gmail.com फोन नंबर–0771–2971063

क्र/03/बी.ओ.सी./उपकर/2024/2696 दिनांक– 18/9/24

प्रति

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ शासन,

(2) अध्यक्ष राजस्व मण्डल,
बिलासपुर

(3) समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ

विषयः– श्रम विभागीय वेबसाईट लिंक परिवर्तन सूचना बाबत्।

संदर्भः– सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ शासन का पत्र क्रमांक–1755/1872/2021/16 दिनांक–05.07.2023।

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में अनुरोध है कि, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम 1996 सहपठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 1998 के प्रयोजनार्थ उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण किसी नियोजक द्वारा उपगत सन्निर्माण लागत के 01 प्रतिशत से केन्द्र शासन, अधिसूचित कर सन्निर्माण लागत की 01 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के धारा–02 के तहत् अधिनियम में प्रावधानित निर्माण कार्यो पर कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत जमा करने का प्रावधान है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 अधिनियम के अनुरूप प्रत्येक निर्माण कार्य पर उनके निर्माण कुल लागत का 01 प्रतिशत उपकर कटौती राशि को 30 दिवस के भीतर मंडल को हस्तांतरण करने का प्रावधान है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3 के अधीन संदेय उपकर के निर्धारण उपरांत निर्दिष्ट समयावधि में उपकर संदेय नहीं किये जाने की स्थिति में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 1996 के नियम 8 के अंतर्गत 02 प्रतिशत मासिक तथा वार्षिक 24 प्रतिशत की दर से ब्याज संदाय किये जाने का प्रावधान है।

पूर्व में उपकर जमा करने हेतु श्रम विभागीय वेबसाईट– www.cglabour.nic.in के लिंक दिनांक–17.09.2024 बंद कर नवीन वेबसाईट लिंक– **www.shramevjayate.cg.gov.in** हो गया है, जिसके मुख्य पेज में उल्लेखित **"Cess Login"** में रजिस्ट्रेशन User Id एवं Password जनरेट किया जाकर ऑनलाईन मोड से सीधे चालान बनाया जाकर उपकर जमा कराये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में आपके विभाग अंतर्गत संचालित कार्यालयों को आवश्यक समुचित निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करेगें।

सचिव,
छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल

पृ0क्र0/03/बीओसी/उपकर/2024/2697 दिनांक– 18/9/24

प्रतिलिपिः–

सचिव सह श्रमायुक्त, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

18/9/2024

सचिव,
छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल